**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**14.12.2018 के**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 626 का उत्‍तर**

 **मानवरहित समपारों के कारण मृत्‍यु**

**626. श्री प्रताप सिंह बाजवा:**

 **क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) 2014 से 2018 तक मानवरहित समपारों के कारण हुई मृत्‍यु का वर्ष-वार ब्‍यौरा क्‍या है;

(ख) 2014 से 2018 तक नागरिकों द्वारा रेल की पटरी पार करने का प्रयास करने के कारण हुई मृत्‍यु का वर्ष-वार ब्‍यौरा क्‍या है;

(ग) उपरोक्‍त (ख) के संबंध में नागरिकों द्वारा मजे के लिए सैर करने या अ‍नधिकृत प्रवेश करने के कारण कितने लोगों की मृत्‍यु हुई और शेष मृत्‍यु होने के कारणों का ब्‍यौरा क्‍या है;

(घ) 2014 से 2018 तक रेल की पटरियों के निकट अतिक्रमण या रिबन विकास के कारण हुई मृत्‍यु का वर्ष-वार ब्‍यौरा क्‍या है;

(ड.) क्‍या मंत्रालय की ऐसी सभी घटनाओं के कारण हताहत लोगों की संख्‍या को कम करने के लिए कोई कार्य योजना हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्‍तर**

**संचार मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) एवं**

**रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री मनोज सिन्‍हा)**

(क) से (च) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

मानवरहित समपारों के कारण मृत्‍यु के संबंध में 14.12.2018 को राज्‍य सभा में श्री प्रताप सिंह बाजवा के अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 626 के भाग (क) से (च) के उत्‍तर का विवरण।

(क): 2014-15 से वर्ष 2018-19 (30 नवम्बर, 2018 तक) के दौरान, मानव रहित समपारों पर परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या इस प्रकार है:

|  |  |
| --- | --- |
|  वर्ष | मौतों की संख्या |
| 2014-15 | 130 |
| 2015-16 | 58 |
| 2016-17 | 40 |
| 2017-18 | 26 |
| 2018-19(30 नवम्बर, 2018 तक) | 16 |

(ख) से (घ): 2014, 2015, 2016 और 2017 के दौरान, अनधिकृत प्रवेश के कारण रेलपथों पर होने वाली मौतों की संख्या, जिसमें रेलपथ पार करने का प्रयास करने, आन्‍नद के लिए सैर करने, अतिक्रमण करने या रेलपथ के नज़दीक बस्तियों का विकास होने के कारण हुई नागरिकों की मौतों के आंकड़े शामिल हैं, निम्नानुसार है:-

|  |  |
| --- | --- |
|  वर्ष | अनधिकृत प्रवेश के कारण होने वाली नागरिकों की मौतों की संख्या |
| 2014 | 13145 |
| 2015 | 13093 |
| 2016 | 13129 |
| 2017 | 12,661 |

(ङ) और (च): मानव रहित समपारों पर मौतों की संख्या को कम करने के संबंध में, बड़ी लाइन पर सभी मानव रहित समपारों को मार्च, 2020 तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस संबंध में, कार्रवाई की गई है और बड़ी लाइन पर 28 अदद को छोड़कर सभी मानव रहित समपारों को समाप्त कर दिया गया है, जिनको भी चालू वित्त वर्ष 2018-19 में ही समाप्त करने की योजना है।

अनधिकृत प्रवेश सहित अप्रिय घटनाओं के कारण होने वाली मौतों के कारणों का अध्ययन करने तथा उन्हें कम करने के लिए विशिष्ट उपाय सुझाने के लिए रेलवे ने सभी क्षेत्रीय रेलों में संरक्षा, सुरक्षा, सिगनल और इंजीनियरी विभागों के अधिकारियों की एक अंतर-विभागीय 'संयुक्त समिति' गठित की है। तदनुसार, मौतों को कम करने के लिए अवसंरचना को सुधारने और उसे सृजित करने के लिए निवारक और सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

इसके अलावा, रेलपथ पर अनधिकृत प्रवेश, आनन्‍द के लिए सैर करने आदि सहित अप्रिय घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की रोकथाम करने के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय भी किए जा रहे हैं: -

1. रेलवे स्‍टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्‍यम से नियमित घोषणाएं की जाती हैं जिसमें ऊपरी पैदल पुलों (एफओबी) का उपयोग करने और रेल पटरियों को पार करने से बचने के लिए यात्रियों को आगाह किया जाता है।
2. रेल पटरियों को पार करने, पायदान पर यात्रा करने/छत पर यात्रा करने, चलती हुई गाड़ियों में चढ़ने/उतरने आदि के कारण होने वाले नुकसान के बारे में यात्रियों को संवेदनशील बनाने के लिए रेलवे द्वारा विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।
3. अनधिकृत प्रवेश, गाड़ियों के फुट-बोर्ड, पायदान, छत के ऊपर यात्रा करने, चलती हुई गाड़ियों में चढ़ने/उतरने से बचने के लिए नियमित अभियान चलाए जाते हैं और पकड़े गए व्यक्तियों पर रेल अधिनियम, 1989 के संगत प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाता है।
4. अनधिकृत प्रवेश हेतु भेद्य स्‍थानों पर रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों को तैनात किया जाता है।
5. पहचान किए गए स्‍थानों, अनधिकृत प्रवेश के भेद्य स्‍थानों पर चारदीवारी/बाड़ लगाना।
6. यात्रियों की जागरूकता के लिए संदिग्‍ध स्‍थानों पर चेतावनी वाले साइन बोर्ड लगाए जाते हैं।
7. रेल पटरियों सहित रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश करना रेल अधिनियम 1989 की धारा 147 के तहत एक दंडनीय अपराध है। चालू वर्ष के दौरान अक्टूबर, 2018 तक, भारतीय रेल में अनधिकृत प्रवेश के लिए कुल 131770 व्‍यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है।

\*\*\*\*\*